I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY

Estd. Under Punjab Technical University Act, 1996
(Punjab Act No. 1 of 1997)

Ref. No. : IKGPTU /Reg./ 317 *Dated : 03/05/2017*

The Principals/Directors

1. **All affiliated Colleges/Institutes of IKGPTU**
2. **All Constituent Campuses of IKGPTU**

Sub: **Masking/Removal of Aadhaar Number from the website in respect of residents/students.**

As per instructions received from Assistant Director General, Unique Identification Authority of India, it is inform you that Adhaar related information at Colleges/Institutes websites in the State of Punjab in respect of residents/students cannot be displayed publicly as per the Aadhaar Act 2016. The copy of the regulation is enclosed for your kind information please.

It is requested that necessary action may be initiated to get the Aadhaar Number Masked/Removed from the website. In case it takes time to get the content removed, the site may be blocked immediately.

This may be taken on top priority under intimation to this Office.

03/05/17

Registrar

Encl: Regulations of Aadhaar Act 2016

A copy of the above is forwarded to the following:

1. Secretary to VC: For kind information of the Vice-Chancellor
2. Dean P & EP: For necessary directions to the concerned please.
3. Dean R&D
4. Finance Officer
5. Director (DDE)
6. Controller of Examinations
7. Director (CD)
8. DR (ITS): For necessary compliance
9. Assistant Director General, Unique Identification Authority of India

I. K. Gujral Punjab Technical University, Jalandhar
Jalandhar Kapurthala Highway, Near Pushpa Gujral Science City, Kapurthala - 144 603
Ph. No. 01822 - 662521, 662501 Fax No. : 01822-255506, 662526, Email: registrar@ptu.ac.in

भारत के राजपत्र, असाधारण,

भाग – **III** , खंड – **4** में प्रकाशनार्थ

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART III, SECTION 4

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2016

आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016
(2016 का 5)

संख्या :– **……………-…./2016-………** …….. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 23 की उप–धारा (2) के उप–खंड (के) तथा धारा 29 की उप–धारा (2) तथा (4) के साथ पठित धारा 54 की उप–धारा (2) के उप–खंड (ओ) तथा उप–धारा (1) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः–

अध्याय – 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :–

(1) इन विनियमों को आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :–

(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 से है;

(ख) "आधार पत्र" का अभिप्राय किसी निवासी को आधार नंबर के संप्रेषित करने वाले दस्तावेज से है;

(ग) "आधार नंबर धारक" का अभिप्राय कोई व्यक्ति, जिसे अधिनियम के अंतर्गत आधार नंबर जारी किया गया है, से है;

(घ) "प्राधिकरण" का अभिप्राय धारा 11 की उप–धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से है;

(च) "अनुरोध करने वाली संस्था" का अभिप्राय किसी एजेंसी या व्यक्ति से है, जो कि अधिप्रमाणन के लिए केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को किसी व्यक्ति विशेष का आधार नंबर तथा जनसांख्यिकीय सूचना अथवा बायोमैट्रिक सूचना प्रस्तुत करता है;

(2) इन विनियमों के उपयोग के लिए अन्य सभी शब्द या अभिव्यक्तियां, जिन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों तथा अन्य विनियमों में परिभाषित किया गया है, उनका क्रमशः वही अर्थ होगा, जो कि उन्हें अधिनियम अथवा नियम अथवा अन्य विनियमों, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

अध्याय – 2

पहचान संबंधी सूचना की सहभाजिता पर प्रतिबंध

3. प्राधिकरण द्वारा पहचान संबंधी सूचना का सहभाजन :–

(1) अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा संग्रहित मुख्य बायोमैट्रिक सूचना को किसी भी कारण से किसी भी व्यक्ति के साथ सहभाजित नहीं किया जाएगा।

(2) आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप अधिप्रमाणन प्रक्रिया के लिए आधार नंबर धारक से सहमति प्राप्त करने के उपरांत इनके संबंध में अनुरोध करने वाली संस्था के अनुरोध पर अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा संग्रहित व्यक्ति विशेष सूचना की जनसांख्यिकीय सूचना तथा फोटोग्राफ को किसी अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा ऐसे व्यक्ति विशेष के संबंध में ई–केवाईसी संबंधी डाटा के अधिप्रमाणन संबंधी अनुरोध किए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सहभाजित किया जा सकता है।

(3) प्राधिकरण, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 के विनियम 28 के अनुरूप आधार नंबर धारक के अधिप्रमाणन अभिलेखों को सहभाजित करेगा।

(4) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 33 के अनुरूप, जब ऐसा करने की आवश्यकता हो, आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय सूचना तथा फोटोग्राफ तथा अधिप्रमाणन अभिलेखों को सहभाजित करेगा।

4. अनुरोध करने वाली संस्था के साथ सूचना का सहभाजन :–

(1) अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा आधार नंबर धारक के संबंध में अधिप्रमाणन के समय संग्रहित अथवा प्राप्त की गई मुख्य बायोमैट्रिक सूचना को आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 में यथा–विनिर्दिष्ट बफर अधिप्रमाणन के अलावा संचयित नहीं किया जाएगा और किसी भी कारण से से किसी व्यक्ति के साथ सांझा नहीं किया जाएगा।

(2) अनुरोध करने वाली संस्था के पास उपलब्ध पहचान संबंधी सूचना को :–

(क) अनुरोध करने वाली संस्था द्वारा अधिप्रमाणन हेतु पहचान संबंधी सूचना को प्रस्तुत करने के समय, आधार नंबर धारक के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा; और

(ख) आधार नंबर धारक की पूर्व सहमति के बिना आगे उद्घाटित/प्रकट नहीं किया जाएगा।

(3) अनुरोध करने वाली संस्था, आधार नंबर धारक के अधिप्रमाणन संबंधी लॉग की संबंधित सूचना को आधार